

F.4.4(09)/RISL/Tech/2013/8038

Dated: 4-10-2013

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक),
जिला ई-गवर्नेंस सेल

विषय:- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आर.आई.एस.एल द्वारा **M/s HP India Limited** को कार्यादेश जारी किया गया है। फर्म द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट वेबपोर्टल <http://edistrict.rajasthan.gov.in> का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही अजमेर एवं जोधपुर जिलों हेतु हार्डवेयर की आपूर्ति कर दी गई है। शेष जिलों के लिए हार्डवेयर क्रय किये जाने की प्रक्रिया आर.आई.एस.एल द्वारा की जा रही है।

ई-डिस्ट्रिक्ट वेबपोर्टल के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में दैनिक वाद सूची एवं उसका संधारण तथा वाद निर्णयों की प्रतिलिपी नागरिकों को ई-मित्र एवं नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने की सेवा प्रदान करने का कार्य अजमेर एवं जोधपुर जिलों में प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रथम चरण में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएं दिये जाने का निर्णय किया गया है:-

1. राजस्व न्यायालयों की दैनिक वाद सूची
2. राजस्व केसेस की स्थिति के बारे में जानकारी
3. राजस्व न्यायालयों के अंतिम आदेश की प्रति उपलब्ध कराना
4. पेड. काटने की अनुमति

उपरोक्त सेवाओं को प्रारम्भ करने हेतु राज्य के समस्त राजस्व न्यायालयों में चल रहे वादों का कम्प्यूटीकरण किया जाना है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले से संबंधित समस्त उपखण्ड एवं तहसील स्तर के सभी राजस्व न्यायालयों में चल रहे समस्त वादों का इन्द्राज ई-डिस्ट्रिक्ट वेबपोर्टल में संबंधित सूचना सहायकों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में लेख है कि तहसीलों पर पदस्थापित समस्त सूचना सहायक आपके निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

इन्द्राज का कार्य प्रारंभ करने हेतु सर्व प्रथम निम्न जानकारी दिनांक 15-10-2013 तक आवश्यक रूप से एकत्रित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

- जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों का नाम व पता
- राजस्व न्यायालय में कार्यरत रीडर एवं लोक अभियोजक का नाम
- जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं ब्रोडबैंड अथवा आरस्वान की उपलब्धता



राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर

जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थापित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, प्रोग्रामर हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट वेबपोर्टल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 08-10-2013 को वीडियो कॉन्फ़ेसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा जिसमें अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। इस प्रशिक्षण के पश्चात् तहसील पर पदस्थापित समस्त सूचना सहायकों एवं राजस्व न्यायालयों से संबंधित कर्मचारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण जिले में पदस्थापित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर द्वारा दिया जावेगा।

(आशुतोष एम. देशपांडे)
तकनीकी निदेशक